FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत **जिला कलेक्टर** मुकाम कोटा

केनफिन होम्स लि0 **बनाम** *लक्ष्मीकांत शर्मा वगै0*

किस्म मुकद्दमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 7.6.2022

प्रकरण संख्या 129 वर्ष **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-06-2022	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उनके द्वारा अपने मकान नम्बर 830 जिसकी पैमाईश 499 वर्गफीट वाके विवेकानन्द नगर योजना में स्थित है जिस पर केनफिन होम्स लि0 से ऋण लिया था । जिस पर राशि बकाया होने पर बैंक द्वारा एनपीए कर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कोटा से सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 17.11.2021 को आदेश प्राप्त किये । प्रार्थीगण के मकान की कीमत 55 से 60 लाख रूपये है तथा प्रार्थीगण के लोन की राशि 20 लाख रूपये है तथा ब्याज सहित अब बैंक द्वारा 25,36,000/– निकाला गया है जबकि प्रार्थी के द्वारा 28,000/– प्रतिमाह किश्त भी जमा की जाती रही है । कोरोना वैश्विक महामारी के कारण राशि जमा करवाने से वंचित हो गये । प्रार्थीगण के मकान को बैंक /वित्तिय संस्था द्वारा बैचान किया जा रहा है जो कि ओम प्रकाश पुत्र श्री घमंडीलाल को एक एग्रीमेंट 30,000,00/– तीस लाख रूपये एवं दूसरा एग्रीमेंट 38,50,000/– अडतीस लाख, पचास हजार रूपये का बैंक मेनेजर द्वारा करवाया जा रहा है जिसका कि कारण पूछने पर नहीं बता रहे है दो एग्रीमेंट क्यों करवाये जा रहे है बैंक द्वारा एग्रीमेंट का प्रारूप लिखकर दिया है । प्रार्थीगण 38,50,000/– में उक्त खरीददार के मकान बेचान करने में सहमत है, बैंक को 25,36,000/– चुकता करने को तैयार है बाकि रकम 13,14,000/– प्रार्थीगण को दिलवा दिये जाये तो प्रार्थीगण उक्त मकान का वक्रय आलेखित कर रजिस्ट्री करवा देंगे । बैंक केन फिन होम्स लि0 शाखा शीला चौधरी रोड द्वारा प्रार्थीगण के साथ डबल एग्रीमेंट करवाया जा रहा है जो उचित नहीं है । बैंक मेनेजर द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी जा रही है कि आप द्वारा मेरे बताए गये लिखे गये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किये तो उक्त मकान को 26 लाख रूपये में ही बेच दूंगा और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकता । प्रार्थीगण द्वारा स्टेटमेंट मांगने पर भी देने से इंकार कर दिया । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में केनफिन होम्स के मैनेजर को तलब किया गया । मूल पत्रावली तलब की गई । प्रार्थीगण एवं बैंक मैनेजर को सुना गया किन्तु बैंक मैनेजर द्वारा डबल एग्रीमेंट के बारे में कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दे पाये है । तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में बैंक के प्रार्थना पत्र पर	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

प्रकरण संख्या 116/2021 उनवान कैनफिन होम्प लि0 बनाम श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा में अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत बंधक सम्पत्ति का कब्जा बैंक/वित्तीय संस्था को संभलाने के लिए पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे तथा यह भी आदेश दिया गया था कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जाने के आदेश दिये गये थे । प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार इस सम्पत्ति को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो रहा है ।

अतः इस न्यायालय के प्रकरण सं0 116/2021 कैनफिन होम्स लि0 बनाम श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा वगै0 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2021 की क्रियान्विति करने से पूर्व प्रार्थीगण व बैंक प्रबन्धक को सुना जावें तथा अप्रार्थीगण द्वारा बताये अनुसार दौ एग्रीमेन्ट क्यों किये जा रहे है, तथा एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच करें तथा दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावें । आदेशिका की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को भिजवाई जावें । प्रार्थना पत्र मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो ।

10/6/22

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)